रजिस्ट्री सं० डी.एल.—33004/95

REGD. NO. D.L.—33004/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

SECRETARIAT LIBRARY
GOVT. OF INDIA

सं० 106] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 19, 1996/माघ 30, 1917
No. 106] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 19, 1996/MAGHA 30, 1917

इस्पात मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 1996

का० आ० 132(अ)—केन्द्रीय सरकार, लौह और इस्पात (नियंत्रण) आदेश, 1956 के खण्ड 17क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन इस्पात और भारी इंजीनियरी मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 1567 तारीख 7 अप्रैल, 1971 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के खण्ड 2 के उप-खण्ड (क) में शीर्षक "कृत्य" के पैरा 4 की मद (3) और उससे संबंधित प्रविष्टि का लोप किया जाएगा और ऐसे लोप से उस मद के अधीन इसके पूर्व की गई किसी कार्रवाई या की गई किसी बात पर ऐसे लोप का प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

[सं० एस० सी०-4(12)/92-डी-2]
के० कियगेन, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण : मूल आदेश सं० का० आ० 1567, तारीख 7 अप्रैल, 1971 द्वारा अधिसूचित किया गया और तत्पश्चात् इसमें निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया :—

1. का० आ० सं० 104 तारीख 22-02-1973
2. का० आ० सं० 123 तारीख 03-03-1975
3. का० आ० सं० 721 तारीख 20-12-1975
4. का० आ० सं० 744 तारीख 27-12-1978
5. का० आ० सं० 571 तारीख 08-10-1979
6. का० आ० सं० 734 तारीख 09-02-1990

7. का. आ. सं. 1211 तारीख 04-04-1991
8. का. आ. सं. 44-अ तारीख 16-01-1992
9. का. आ. सं. 1616 तारीख 18-05-1992
10. का. आ. सं. 318(अ) तारीख 21-04-1994

MINISTRY OF STEEL

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th February, 1996

S.O. 132(E).—In exercise of the powers conferred by Clause 17B of the Iron and Steel (Control) Order, 1956, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Steel and Heavy Engineering, No. S.O. 1567, dated the 7th April, 1971, namely :—

In clause 2 of the said notification, in Sub-clause (a), under the heading "Functions", (a) in paragraph 4, item (iii) the entry relating thereto shall be omitted and such omission shall not affect any action taken or things done under that item on or before such omission.

[No. SC-4(12)/92-D. II]
K. KIPGEN, Jt. Secy.

Foot Note : The Principal order was notified vide No. S.O. 1567 dated the 7th April, 1971 and subsequently amended vide :—

1. No. S.O. 104 dated 22-02-1973
2. No. S.O. 123 dated 03-03-1975
3. No. S.O. 721 dated 20-12-1975
4. No. S.O. 744 dated 27-12-1978
5. No. S.O. 571 dated 08-10-1979
6. No. S.O. 734 dated 09-02-1990
7. No. S.O. 1211 dated 04-04-1991
8. No. S.O. 44-E dated 16-01-1992
9. No. S.O. 1616 dated 18-05-1992
10. No. S.O. 318(E) dated 21-4-1994

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 1995